

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, राजस्थान जयपुर)

क्रमांक: एफ 3(विविध)(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)/लेखा/ निजमूसं /3043-3190 दिनांक : 10/3/2014
--:कार्यालय आदेश:-

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3668-3815 दिनांक 22.02.2013 के अतिक्रमण में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपापन संस्था, परियोजना प्रबंधक/परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 3 (1) के वर्णित प्रावधानों के तहत बजट उपलब्ध होने की शर्त पर टेण्डर प्रकरणों को निर्णित करने हेतु पूर्णतः अधिकृत है।




(राजेश यादव)

शासन सचिव

पंचायती राज विभाग

क्रमांक: एफ 3(विविध)(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)/लेखा/ निजमूसं / 3043-3190 दिनांक : 10/3/2014
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीणा विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर (समस्त)।
6. अतिरिक्त निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी./प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)।
9. उपनिदेशक(आई.डब्ल्यू.एम.पी./जीविकोपार्जन/प्रशासन/एम.आई.ई.एस./मूल्यांकन/प्रशिक्षण/पशुपालन/कृषि/एन.डब्ल्यू.डी.पी./परियोजना अधिकारी(भू-संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
10. परियोजना प्रबंधक, वाटर शैड कम डाटा सेन्टर, जिला परिषद (समस्त)।
11. लेखा अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)।
ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।



(एम.एस.काला)

निदेशक